

Title: Need to withdraw order of Medical Council of India making a screening test mandatory for registration of medical students with a foreign degree - Laid.

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): अध्यक्ष महोदय, भारतीय चिकित्सा परिषद ने विदेश से डाक्टरी पढ़कर आये छात्रों का पंजीकरण करने हेतु स्क्रीनिंग टेस्ट कराने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से विदेश में लाखों रुपये खर्च कर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लौटे छात्रों का भविय अंधकारमय हो गया है। एक तरफ भारत में डाक्टरी पढ़ने वाले लोग विदेश भागने की ओर उद्यत हैं और दूसरी ओर चिकित्सा परिषद विदेश में अध्ययन करके लौटे प्रतिभाशाली छात्रों के साथ इस व्यवहार का कारण समझ नहीं आता है। नेपाल और बंगलादेश से आए ऐसे छात्रों को यह टेस्ट नहीं देना होगा। अपने देश के छोटे छोटे कॉलेजों के छात्रों को इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है जबकि रूस और अन्य उन्नत देशों के अच्छे संस्थानों से शिक्षा प्राप्त लोगों को शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है।

में सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाकर आग्रह करना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्रालय को चिकित्सा परिषद का यह आदेश अविलम्ब वापस लेना चाहिए और पूर्व स्थिति बहाल होनी चाहिए। साथ ही 15 मार्च से पूर्व जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उन्हें भी इस प्रकार के टेस्ट पास करने की कोई शर्त नहीं लगाना चाहिए।